रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 2006/चैत्र 4, 1928
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 2006/CHAITRA 4, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

मुम्बई 20 मार्च, 2006

(मार्च 2006 के 14वें दिन पारित)

सं. टीएएमपी/44/2005-टीपीटी.—इस प्राधिकरण ने दिनांक 27 दिसंबर, 2005 को, प्रकरण सं. टीएएमपी/44/2005 टीपीटी में, मैसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को वीओसी घाटों पर पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टा किराया को संशोधित करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के संबन्ध में एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 5 द्वारा, 12 जनवरी, 2006 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त आदेश के उप-पैरा 8(vii) के दूसरे वाक्य में एक टंकण भूल का अवलोकन किया गया है। तदनुसार उक्त आदेश के पैरा 8(vii) के तहत उप-पैरा को सही किया गया और निम्न प्रकार से पढ़ाया जाय :—

"सामान्य परिस्थितियों में यह प्राधिकरण दरें पूर्व-प्रभाव से संशोधित नहीं करता है। वर्तमान मामले में पट्टा करार में दरों में पाँच (5) वर्षों में एक बार संशोधन हेतु प्रावधान किया गया है और पट्टाधारक ने भी पूर्व-प्रभाव से संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं की है। इसके अलावा, पहले भी ऐसे पूर्व-प्रभाव से संशोधन के क्रियान्वयन का पूर्वोदाहरण रहा है। इसे देखते हुए यह प्राधिकरण अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में टीपीटी की ओर से किये गये विलंब को माफ करता है और 1 जनवरी, 2002 से पूर्व-प्रभाव से दर अनुमोदित करता है। टीपीटी को पट्टा किराए की अगली समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव इसकी वैधता की समाप्ति से काफी समय पहले प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

Mumbai, 20th March, 2006

(Passed on this 14th day of March, 2006)

No. TAMP/44/2005-TPT.—This Authority had passed an Order on 27th December, 2005 in the case No. TAMP/44/2005-TPT relating to the proposal from the Tuticorin Port Trust for revision of lease rent of the land leased out to

M/s. Southern Petrochemical Industries Corporation Limited at VOC wharfs. This Order was notified in the Gazette of India, Extraordinary (Part III, Section 4) on 12 January, 2006 *vide* Gazette No. 5

2. A typographical error is noticed in the second sentence of sub-para 8 (vii) of the said Order. Accordingly, the sub-para under para 8 (vii) of the said Order is corrected and should be read as follows :

"This Authority under the ordinary circumstances does not approve the rates with retrospective effect. In the instant case, the lease agreement provides for revision of rates once in 5 years and the lessee also has not objected to the retrospective revision. Further, there is a precedent of implementation of such retrospective revision earlier. That being so, this Authority condones the delay on part of the TPT in filing its proposal and approves the rate with retrospective effect from 1 January, 2002. The TPT is advised to file its proposal for the next review of the lease rental well before the expiry of its validity."

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/2005-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.